छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

प्रथम अपील संख्या 127 सन् 2006

मेसर्स श्रीराम स्टील्स, रायपुर

बनाम

मेसर्स वंदना ट्रेलर्स

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

दिनांक 26–11–2007 को सूचीबद्ध करें।

सही/–

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

प्र

काशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

—————————————————————————————————————

——————

एकल पीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

—————————————————————————————————————

——————

प्रथम अपील संख्या 127 सन् 2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी/ प्रतिवादी: – मेसर्स श्रीराम स्टील्स रायपुर, अपने स्वामी के माध्यम से, चंदनिद्दीह, जी.ई.रोड, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी/वादी: – मेसर्स वंदना ट्रेलर्स, अपनी स्वामिनी श्रीमती सुषमा जायसवाल के माध्यम से, आयु लगभग 37 वर्ष, पति श्री त्रिलोकचंद जायसवाल, निवासी वार्ड नं.9, सक्ति, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अंतर्गत अपील

—————————————————————————————————————

उपस्थित: श्री संजय के. अग्रवाल, अपीलार्थी हेतु अधिवक्ता।

श्री एच.एस.पटेल, प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 26 नवम्बर, 2007 को उद्घोषित)

(1) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सक्ति द्वारा व्यवहार वाद संख्या 7–बी/2003 में दिनांक 17–03–2006 को पारित डिक्री एवं निर्णय से व्यथित होकर, जिसके तहत रुपये 1,49,598=31 की वसूली का वाद प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में स्वीकृत किया गया था, के विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

(2) इस अपील में यह अविवादित है कि प्रत्यर्थी/वादी एक महिला उद्यमी है, जो सक्ति में मेसर्स वंदना ट्रेलर्स के नाम से इस्पात का व्यवसाय करती है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी भी इस्पात आपूर्ति का व्यवसाय करता है और रायपुर में मेसर्स श्रीराम स्टील्स के नाम से अपना व्यवसाय संचालित करता है। वह मांग आदेशों के अनुसार इस्पात की आपूर्ति का कार्य भी करता है। मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी भी रायपुर में स्थित है। यह भी अविवादित कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को रायपुर में दिनांक 11–02–2002 और 21–02–2002 को रुपये 1,00,000/– प्रत्येक के दो डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त हुए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) प्रत्यर्थी/वादी का अभिवचन यह है कि बाहरी व्यापारी, सक्ति में मौखिक संविदा करने के बाद उसके व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्ति में कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, जिसका भुगतान बैंक डिमांड ड्राफ्टो के माध्यम से किया जाता था। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी स्वयं या अपने एजेंटों के माध्यम से कच्चे माल अर्थात् इस्पात की आपूर्ति करता था, जो सक्ति आकर मौखिक करार करते और तदनुसार सक्ति में माल की आपूर्ति करते थे। वर्ष 2001 से पूर्व प्रत्यर्थी/प्रतिवादी मुख्यतः टेलीफोन कॉल के माध्यम से बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर कच्चे माल अर्थात् इस्पात की आपूर्ति करता था।

(4) प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने छल पूर्वक दिनांक 11–02–2002 को रुपये 1,00,000/– और दिनांक 21–02–2002 को रुपये 1,00,000/– प्रत्यर्थी/वादी से बैंक डिमांड ड्राफ्टो के माध्यम से प्राप्त किए। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी से खाता विवरण प्राप्त होने पर ही पता चला कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा रुपये 1,26,980/– की राशि छलपूर्वक अतिरिक्त रूप में ली गई थी। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा भेजे गए दिनांक 01–07–2003 और 04–08–2003 के नोटिसों के बावजूद, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने रुपये 1,26,980/– की राशि वापस नहीं की। इन्हीं आधारों पर वादी ने दिनांक 01–04–2002 से वसूली तक 11.25% वार्षिक ब्याज सहित रुपये 1,49,598= 31 की वसूली के लिए वाद दायर किया।

(5) प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का अभिवचन यह है कि उसने कच्चे माल अर्थात् इस्पात की आपूर्ति के लिए प्रत्यर्थी/वादी के साथ प्रत्यक्ष रूप से कभी कोई करार नहीं किया था। यह अभिवचन किया गया कि प्रत्यर्थी/वादी ने विभिन्न फर्मों के माध्यम से कच्चे माल की खरीदारी के लिए मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर को अधिकृत किया था और यह मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर ही थी जिसने प्रत्यर्थी/वादी–फर्म के साथ भुगतान की जिम्मेदारी लेते हुए मांग आदेश दिए थे। दिनांक 28–12–2000 को मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी के प्रत्यर्थी/वादी के अधिकृत एजेंट के रूप में और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के बीच एक लिखित करार प्रदर्श डी/19 हुआ था। मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा आपूर्ति किए गए कच्चे माल को सक्ति स्थित प्रत्यर्थी/वादी को पहुंचाने और उससे भुगतान प्राप्त करने की एकमात्र जिम्मेदारी ली थी। यह विशिष्ट रूप से इंकार किया गया कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी या उसके अधिकृत एजेंट ने कभी सक्ति का दौरा किया या प्रत्यर्थी/वादी के साथ प्रत्यक्ष करार किया। इस प्रकार विशेष रूप से यह अभिवचन दिया गया कि स्थानीय क्षेत्राधिकार के अभाव में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सक्ति

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के समक्ष वाद संस्थापन के लिए प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध कोई वाद–हेतुक नहीं उत्पन्न हुआ था।

(6) प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने रुपये 71,526/– के लिए प्रतिदावा दायर किया था, जिसमें अभिवचन दिया गया कि मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के माध्यम से प्रत्यर्थी/वादी को आपूर्ति किए गए कच्चे माल के लिए प्रत्यर्थी/वादी ने क्रेडिट नोट नहीं भेजा था और नीचे दर्शाई गई राशियों का समायोजन भी नहीं किया था:

(1) श्री कृष्णा स्टील्स यूनिट–2	29–05–01	रुपये 893=00
(2) किसान मैकेनिकल वर्क्स	16–10–01	रुपये 17,485=00
(3) मेसर्स जी. स्टील प्राइवेट लिमिटेड	12–11–01	रुपये 25,793=00
(4) श्री राम स्टील्स	12–11–01	रुपये 27,355=00
	कुल:	रुपये 71,526=00

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सक्ति ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए और उनके सामने दिखाए अनुसार निष्कर्ष दर्ज किए:

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1–	क्या वादी ने प्रतिवादी को 1,26,980/– रुपये के मूल्य का भुगतान पेटे अधिक रूप से प्रतिवादी को भुगतान कर दिया है?	हाँ।
2–	क्या वादी, प्रतिवादी ने 1,26,980/– रुपये अतिरिक्त भुगतान की गई	हाँ।

राशि और उस पर दिनांक 01.4.02 से लेकर 31.10.03 तक ब्याज 22618= 31 पैसे प्राप्त करने का अधिकारी है?

3- क्या वादी, वाद प्रस्तुति दिनांक से उक्त बकाया राशि प्राप्ति दिनांक तक 11.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है? — हाँ।

4- क्या वादी का वाद इस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर वाद-कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण, पोषणीय नहीं है? — पोषणीय हैं।

5- क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन किया है? — हाँ।

6- क्या वादी ने प्रतिवादी फर्म के स्वामी को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए पक्षकारों के असंयोजन के कारण वादी का वाद पोषणीय नहीं है? — पोषणीय हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतिरिक्त वाद-प्रश्न

6(अ) क्या प्रतिवादी, वादी से कुल 71,527 इकहत्तर हजार पांच सौ सत्ताईस रुपये दिनांक 29.5.2001, 16.10.2001, 12.11.2001 एवं 12.11.2001 को क्रमशः 893 रुपये, 17485 रुपये, 25,793 रुपये एवं 27,355 रुपये कुल रुपये 71,526 रुपये क्रेडिट नोट की राशि को, प्रतिवादी को समायोजित करने का अधिकार है? — नहीं।

7 सहायता एवं वाद-व्यय? — वादी का वाद स्वीकार।

(8) श्री संजय के. अग्रवाल, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित डिक्री एवं निर्णय पर आक्षेप करते हुए तर्क दिया कि प्रत्यर्थी/वादी यह स्थापित करने में असफल रहा कि उसके और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के बीच कोई संविदात्मक संबंध थी, इसलिए सक्ति में वाद संस्थापन के लिए प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में कोई वाद–हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सक्ति के पास वाद सुनने का कोई स्थानीय क्षेत्राधिकार नहीं था। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने प्रदर्श डी/19 करार मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के साथ किया था न कि प्रत्यर्थी/वादी के साथ। उक्त करार के तहत प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर को माल आपूर्ति करने की सहमति दी थी, जो प्रत्यर्थी/वादी को वही माल आपूर्ति करने और भुगतान प्राप्त करने की जिम्मेदारी के अधीन था। आगे यह सहमति भी थी कि करार प्रदर्श डी/19 के तहत प्रत्यर्थी/प्रतिवादी और मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को रायपुर में मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और प्रत्यर्थी/वादी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी और मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के बीच के लेन–देन के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) प्रत्यर्थी/वादी की स्वामिनी श्रीमती सुषमा जायसवाल के कण्डिका 5 से 8 के कथन, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के माध्यम से प्रत्यर्थी/वादी को भेजे गए बीजक प्रदर्श डी/1 से डी/7, प्रत्यर्थी/वादी के लेखाकार गिरधर जायसवाल, वादी साक्षी क्र.2 द्वारा लिखे गए प्रदर्श डी/1 और कण्डिका 9 एवं 10 में उनकी स्वीकृति का संदर्भ देते हुए यह तर्क दिया कि वे प्रत्यर्थी/प्रतिवादी और मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के बीच हुए करार प्रदर्श डी/19 का समर्थन करते हैं। आगे यह तर्क दिया गया कि यदि प्रत्यर्थी/वादी को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी से सीधे माल प्राप्त हुआ होता न कि मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के माध्यम से, जैसा कि उपर्युक्त दस्तावेजों से प्रदर्शित होता है, तो प्रत्यर्थी/वादी को

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का खंडन करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त चालान प्रस्तुत करने चाहिए थे। वह अपनी गवाही के कण्डिका 8 में इसकी व्याख्या करने में असफल रही। उसकी गवाही का कण्डिका 5 भी वादपत्र के कण्डिका 2 के अभिकथनों के विपरीत था और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के पक्ष का समर्थन करता था कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी और प्रत्यर्थी/वादी के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि दिनांक 11-02-2002 की डिमांड ड्राफ्ट संख्या 272322 और दिनांक 21-02-2002 की संख्या 567812, प्रत्येक रुपये 1,00,000/- के लिए, क्रमशः बैंक ऑफ इंदौर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) और पंजाब नेशनल बैंक, सिवनी (मध्य प्रदेश) के थे। इस प्रकार के भुगतान की वसूली के लिए वाद संस्थित किए जाने हेतु वाद हेतुक, यदि कोई था, रायपुर में उत्पन्न होता जहां उपर्युक्त डिमांड ड्राफ्टो के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया गया था न कि सक्ति में। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा अपने नोटिस प्रदर्श पी/3 एवं पी/4 में उपर्युक्त डिमांड ड्राफ्टो का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री एच.एस.पटेल ने आक्षेपित डिक्री एवं निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया है कि दस्तावेज प्रदर्श डी/19 एक गढ़ा गया दस्तावेज है जिस पर प्रत्यर्थी/वादी के हस्ताक्षर नहीं हैं। इस प्रकार यह त्रिपक्षीय करार नहीं है। करार के लिए स्टांप दिनांक 21-04-1999 को विशेष मुख्तारनामा निष्पादित करने के लिए खरीदे गए थे, जिस पर बाद में दिनांक 28-12-2000 को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी और मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के बीच उक्त करार निष्पादित किया गया था। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रति-दावे का संदर्भ दिया गया, जिसमें प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने स्वीकार किया था कि प्रति-दावा करने का वाद-हेतुक सक्ति न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न हुआ था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि माल अंततः सक्ति में प्रत्यर्थी/वादी को आपूर्ति किया गया था

और इसलिए सक्ति, संविदा के निष्पादन का स्थान होने के नाते, सक्ति न्यायालय के पास वाद सुनने का क्षेत्राधिकार था। यह भी तर्क दिया गया कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद 'संहिता') के आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रति–दावे को प्रस्तुत करने वाला आवेदन न तो हस्ताक्षरित था और न ही सत्यापित था और इसलिए न्यायालय द्वारा इसे सही तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था। इन आधारों पर यह प्रार्थना की गई कि अपील खारिज किए जाने योग्य थी।

(11) परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है। चूँकि सक्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अभिवचन मामले की जड़ तक जाती है, मैं पहले इसी पर विचार करूंगा। न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सामान्यतः संहिता की धारा 20 के प्रावधानों द्वारा निर्धारित होता है, जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**20. अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद–हेतुक पैदा होता है**—पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, हर वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर—

(क) प्रतिवादी, या जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हों वहाँ प्रतिवादियों में से प्रत्येक वाद के प्रारम्भ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है; अथवा

(ख) जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हों वहाँ प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वाद के प्रारम्भ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, परन्तु यह तब जब कि ऐसी अवस्था में या तो न्यायालय की इजाजत दे दी गई हो या जो प्रतिवादी पूर्वोक्त रूप में निवास नहीं करते

या कारोबार नहीं करते या अभिलाभ के लिए स्वयं काम नहीं करते, वे ऐसे संस्थत किए जाने के लिए उपमित हो गए हों; अथवा

(ग) वाद–हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है।

स्पष्टीकरण—निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह [भारत] में अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे वाद–हेतुक की बाबत, जो ऐसे किसी स्थान में पैदा हुआ हो जहाँ उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है, ऐसे स्थान में कारबार करता है।

(12) चूँकि वाद सक्ति में संस्थापित किया गया था न कि संहिता की धारा 20 के खंड (क) या (ख) में उल्लिखित किसी स्थान पर, यह परीक्षा करनी होगी कि क्या वाद संस्थित किए जाने हेतु वाद–हेतुक पूर्णतः या आंशिक रूप से सक्ति में उत्पन्न हुआ था। वाद–हेतुक का अर्थ है प्रत्येक तथ्य, जिसे यदि नकारा जाए तो न्यायालय के निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए वादी के लिए सिद्ध करना आवश्यक होगा। दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का समुच्चय है जो उन पर लागू होने वाली विधि के साथ मिलकर वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध अनुतोष का अधिकार देता है। इसमें प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई कार्य अवश्य शामिल होना चाहिए क्योंकि ऐसे कार्य के अभाव में कोई वाद–हेतुक संभवतः उत्पन्न नहीं हो सकता। संविदा से उत्पन्न वादों में, वाद–हेतुक संहिता की धारा 20 के खंड (ग) के अर्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी भी स्थान पर उत्पन्न होता है:

(i) वह स्थान जहां संविदा की गई थी, अथवा

(ii) वह स्थान जहां संविदा निष्पादित होनी थी या निष्पादित हुई, अथवा

(iii)वह स्थान जहां संविदा के निष्पादन के लिए उसके तहत देय कोई धन स्पष्ट अथवा विवक्षित रूप से भुगतान किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(13) वाद के स्थान पर संविदा करना इस प्रकार वाद–हेतुक का एक भाग है और ऐसी संविदा पर वाद उस स्थान पर दायर किया जा सकता है जहां संविदा की गई या संपन्न हुई थी। यह निर्धारण कि वह कहां की गई थी, संविदा विधि का भाग है। इसलिए निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाला पहला प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी/प्रतिवादी और प्रत्यर्थी/वादी के बीच संविदा विवक्षित थी। वादी द्वारा यह कहा गया था कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के एजेंट सक्ति आते जाते थे और सामग्री का प्रतिपादन करने ऑर्डर लेते थे और तत्पश्चात् सक्ति में वही माल परिदान करने और सक्ति में भुगतान प्राप्त करने के लिए जाते थे। तथापि, उसकी प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 5 में श्रीमती सुषमा जायसवाल, वादी साक्षी क्र. –1 ने कहा कि वह उस व्यक्ति का नाम बताने में असमर्थ थी जिसके साथ लोहे की सामग्री खरीदने के लिए संविदा की गई थी। उसने स्वीकार किया कि उसे प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के किसी एजेंट का नाम याद नहीं है, जो सक्ति आने के बाद सक्ति में लोहे की सामग्री आपूर्ति के लिए मौखिक करार किया था। कण्डिका 6 में उसने पुनः स्वीकार किया कि वह प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के किसी एजेंट का नाम नहीं जानती थी। उसके लेखापाल गिरधर गोपाल जायसवाल, वादी साक्षी क्र.2 ने भी स्वीकार किया कि वह प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के किसी एजेंट का नाम नहीं जानता था, जिसने सक्ति आकर प्रत्यर्थी/वादी के साथ करार किया था।

(14) प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने लिखित कथन में विशेष रूप से इंकार किया था कि उसने माल आपूर्ति के लिए सक्ति में प्रत्यर्थी/वादी के साथ करार किया था। दूसरी ओर, यह विशेष रूप से अभिवचन किया गया कि मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर, प्रत्यर्थी/वादी के एजेंट ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के साथ करार किया था, जिसके तहत प्रत्यर्थी/प्रतिवादी केवल मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी द्वारा रायपुर में ऑर्डर किए गए सामग्री की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी था,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जो बदले में सक्ति में माल भेजने और भुगतान प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था। यह न केवल प्रदर्श डी/19 से बल्कि मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के स्वामी संजय जैन, प्रतिवादी साक्षी क्रमांक–2 की गवाही से भी पुष्ट होता है। चूँकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी और मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी दोनों रायपुर में स्थित हैं, ऐसा करार प्राकृतिक लगता है कि माल मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के आदेश पर रायपुर में आपूर्ति किया जाएगा और इसे प्रत्यर्थी/वादी को डिलीवर करने और भुगतान प्राप्त करने की जिम्मेदारी पूर्णतः मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर पर होगी। प्रत्यर्थी/वादी के लेखापाल गिरधर जायसवाल, वादी साक्षी क्र.2 द्वारा निष्पादित पत्र प्रदर्श डी/1 भी दर्शाता है कि मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर प्रत्यर्थी/वादी का एजेंट था, जिसने सक्ति से अलग स्थान पर मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के साथ हिसाब किताब निपटाने के लिए सहमति दी थी। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने चालान प्रदर्श डी/1 से डी/7 भी प्रस्तुत किए हैं, जो प्रतिवादी के इस अभिवचन को पुष्ट करते हैं कि करार के अनुसरण में, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा रायपुर में मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर को माल आपूर्ति किया गया था, जो बदले में सक्ति में माल प्रतिपादन करने और प्रत्यर्थी/वादी से भुगतान प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था। यदि चालान प्रदर्श डी/1 से डी/7 गढ़े गए दस्तावेज होते, तो प्रत्यर्थी/वादी द्वारा मूल चालान प्रस्तुत करके इसका आसानी से खंडन किया जा सकता था, जो दर्शाते कि माल प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा सीधे उसे आपूर्ति किया गया था। श्रीमती सुषमा जायसवाल का इस स्थिति से समुखन कराया गया और उसने कण्डिका 8 में स्वीकार किया कि वह नहीं जानती थी कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी से प्राप्त चालानों में यह उल्लेख था या नहीं कि माल मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के माध्यम से भेजा गया था। कण्डिका 13 में उसने स्वीकार किया कि मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के साथ हिसाब कित्ताब निपटा लिए गए हैं और कोई पैसा देय नहीं है। यह प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की तर्क को दृढ़ता प्रदान करता है कि मेसर्स अंकुर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

स्टील एजेंसी, रायपुर के स्वामी संजय जैन, प्रतिवादी साक्षी क्रमांक–2 ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के साथ करार प्रदर्श डी/19 का करार ऑर्डर पर माल प्राप्त करने के लिए किया था जबकि सक्ति में प्रत्यर्थी/वादी को वही माल परिदान करने और भुगतान प्राप्त करने की जिम्मेदारी ली थी। प्रदर्श डी–19 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को सीधे भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी/वादी उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि यह जिम्मेदारी पूर्णतः मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर पर होगी। श्रीमती सुषमा जायसवाल की कण्डिका 5 और 6 में गवाही और गिरधर जायसवाल, वादी साक्षी क्र.2 के कण्डिका 5 पर विचार करते हुए, प्रत्यर्थी/वादी यह सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है कि सक्ति में प्रत्यर्थी/वादी को माल आपूर्ति करने और सक्ति में भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी/प्रतिवादी और प्रत्यर्थी/वादी के बीच संविदा प्रत्यक्षता थी। यह स्थापित है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने प्रदर्श डी/19 के माध्यम से मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर के साथ करार किया था, जिसके तहत उसने रायपुर में मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर को माल आपूर्ति करने की सहमति दी थी और बदले में मेसर्स अंकुर स्टील एजेंसी, रायपुर ने प्रत्यर्थी/वादी को माल परिदान करने और भुगतान प्राप्त करके प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को देने की सहमति दी थी। दुहराई गई, वादी फर्म की स्वामिनी श्रीमती सुषमा जायसवाल वादी साक्षी क्र.–1 द्वारा उपर्युक्त संदर्भित कण्डिका 13 में की गई स्वीकृति को प्रदर्श डी/19 को पूर्णतः पुष्ट करती है और इसका समर्थन करती है। केवल प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा संतापित खाता का विवरण प्रदर्श पी/1 की के आधार पर यह नहीं लगाया जा सकता कि पक्षकारों के बीच सक्ति में संविदा हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) प्रत्यर्थी/वादी द्वारा वादपत्र के कण्डिका 3 में अभिवचन किया गया कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने छलपूर्वक से मांग पर दिनांक 11–02–2002 के डिमांड ड्राफ्ट संख्या 272322 और दिनांक 21–02–2002 के संख्या 567812, प्रत्येक रुपये 1,00,000/– के

लिए भुगतान प्राप्त किया था। यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि भुगतान सक्ति में किया गया था। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा मांग किए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति, यद्यपि छल पूर्वक थी फिर भी प्रत्यर्थी/वादी के विरुद्ध तब पूर्ण होगी जब दोनों डिमांड ड्राफ्ट प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा रायपुर में स्वीकार किए गए थे। दूसरे शब्दों में, मांग का प्रस्ताव संविदा के निष्कर्ष में तब परिपक्क होता है जब डिमांड ड्राफ्ट प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा रायपुर में प्राप्त किए गए थे। इस प्रकार यह लेन–देन, जिसने वाद संस्थित किए जाने के लिए वाद–हेतुक को जन्म दिया, रायपुर में पूर्ण हुआ था न कि सक्ति में। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा संस्थापित बही–खाता प्रदर्श पी/2 दर्शाता है कि डिमांड ड्राफ्ट संख्या 272322 रुपये 1,00,000/– के लिए दिनांक 11–02–2002 को बैंक ऑफ़ इंदौर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में तैयार किया गया था और डिमांड ड्राफ्ट संख्या 567812 दिनांक 21–02–2002 को पंजाब नेशनल बैंक, सिवनी (मध्य प्रदेश) में रुपये 1,00,000/– के लिए बनाया गया था। इस प्रकार दोनों डिमांड ड्राफ्ट सक्ति में नहीं बनाए गए थे। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि इन दोनों पत्रों की यात्रा सक्ति से शुरू हुई थी। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि भुगतान मांग किए जाने पर किया गया था, तो भुगतान की स्वीकृति का स्थान वाद–हेतुक प्रदान करेगा। इस मामले में, डिमांड ड्राफ्ट बिलासपुर (छत्तीसगढ़) और सिवनी (मध्य प्रदेश) में तैयार किए गए थे और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा रायपुर में प्राप्त किए गए थे। श्रीमती सुषमा जायसवाल ने कण्डिका 6 में स्वीकार किया था कि उसने कूरियर के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन वह कूरियर सेवा एजेंसी द्वारा जारी की गई रसीद प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके लिए आवश्यक आधार भी प्रत्यर्थी/वादी द्वारा वादपत्र के कण्डिका 5 में नहीं रखा गया था। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा भेजे गए नोटिस प्रदर्श पी/3 और पी/4 इस बिंदु पर पूर्णतः मौन थे। इस प्रकार, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की छलपूर्वक मांग पर डिमांड ड्राफ्टो के माध्यम से अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वापसी का वाद–हेतुक रायपुर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में उत्पन्न हुआ, जहां डिमांड ड्राफ्ट प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए गए थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वादपत्र के कण्डिका 3 में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि सक्ति में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा कब माल आपूर्ति किया गया था जिसके लिए दोनों डिमांड ड्राफ्ट भेजे गए थे। अभिकथन यह हैं कि दो डिमांड ड्राफ्टो के माध्यम से भुगतान छल से प्राप्त किया गया था, जिसका अर्थ है कि रायपुर में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त रूप में प्राप्त रुपये 1,26,980/- की राशि के लिए प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा सक्ति में प्रत्यर्थी/वादी को कोई माल आपूर्ति नहीं किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, ब्याज सहित रुपये 1,26,980/- की राशि के लिए वाद संस्थापन का वाद-हेतुक सक्ति में नहीं बल्कि केवल रायपुर में उत्पन्न हुआ, जहां प्रत्येक रुपये 1,00,000/- के डिमांड ड्राफ्टो के माध्यम से भुगतान प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(16) संक्षेप में, न तो प्रत्यर्थी/वादी यह सिद्ध करने में सक्षम था कि सक्ति में माल आपूर्ति के लिए पक्षकारों के बीच संविदा प्रत्यक्षता थी और न ही वह यह सिद्ध करने में सक्षम था कि जिस अतिरिक्त भुगतान के लिए वाद संस्थित किया गया था, वह सक्ति न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया गया था। इस प्रकार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सक्ति के न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में वाद संस्थित किए के लिए कोई वाद-हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ था।

(17) प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रति-दावे में, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया था कि वाद के लिए वाद-हेतुक सक्ति में उत्पन्न हुआ था, बल्कि यह उल्लेख किया गया था कि सक्ति में वाद की स्थापना को देखते हुए जिसके लिए क्षेत्राधिकार के रूप में गंभीर आपत्ति उठाई गई थी, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के पक्ष में सक्ति में प्रति-दावा करने का वाद-हेतुक उत्पन्न हुआ था। इसलिए यह स्वीकृति प्रत्यर्थी/वादी के किसी काम की नहीं है।

(18) मैं इस सुविचारित मत का हूँ कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सक्ति के पास वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था। आक्षेपित डिक्री एवं निर्णय इसलिए अपास्त किए जाने योग्य है। जहां तक प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रति–दावे का संबंध है, वह भी असफल हो जाता है क्योंकि सक्ति न्यायालय के पास वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था।

(19) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सक्ति द्वारा व्यवहार वाद संख्या 7–बी/2003 में पारित आक्षेपित डिक्री एवं निर्णय अपास्त किया जाता है। संहिता के आदेश VII नियम 10 के तहत वादपत्र प्रत्यर्थी/वादी को वापस किया जाए ताकि संहिता के आदेश VII के नियम 10 के उप–नियम (2) द्वारा अपेक्षित वादपत्र पर आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद क्षेत्राधिकार रखने वाले रायपुर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। अत: संहिता के आदेश VIII नियम 6 क उप–नियम (4) के तहत, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रति–दावे को भी वादपत्र माना जाना है और वादपत्र पर लागू नियमों द्वारा शासित होता है, वह भी क्षेत्राधिकार रखने वाले रायपुर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को वापस किया जाएगा। संहिता के आदेश VII के नियम 10 क के उप–नियम (1) के तहत अपेक्षित आवश्यक सूचना पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओ को दी गई है। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी/वादी व्यवहार वाद संख्या 7–बी/2003 में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा इस वाद के साथ–साथ अपील के किए गए व्यय का भी वहन करेगा। यदि प्रमाणित हो तो अनुसूची के अनुसार अधिवक्ता शुल्क, प्रमाणित अनुसार प्रदान की जावें।

सही/–

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Shaantam Patil

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur